**MAHI YADAV**
Special Public Prosecutor (SPP), Union of India
Standing Counsel for CGST & ED

**MAJESTY LEGAL**
Advocates & Legal Consultants
Established by Mahi Yadav

# "RIGHT TO HEALTH AND LIFE"

स्वास्थ्य हर किसी के जीवन का एक अभिन्न अंग है। स्वस्थ रहने का अर्थ केवल 'रोग मुक्त' होना नहीं है। इसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है। भारत में, 'स्वास्थ्य' की अवधारणा को इसके ऐतिहासिक विकास के सभी चरणों में से प्रमुख महत्व दिया गया है। प्राचीन काल में, स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी जो स्वास्थ्य की कुंजी है। इसके अलावा, उस अवधि के दौरान, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विकसित हुई और चरक एवं सुश्रुत जैसे महान चिकित्सकों ने बीमार मानव जाति की सेवा के लिए अपनी महान सेवा प्रदान की। मुगल शासन के दौरान, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा विकसित हुई और उसके बाद, ब्रिटिश शासन के दौरान चिकित्सा विज्ञान की आधुनिक प्रणाली का जन्म हुआ।

हमारे संविधान में सभी लोगों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की भी आवश्यकता है। स्वतंत्रता से पहले स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र निराशाजनक स्थिति में था क्योंकि बीमारियों के कारण मृत्यु दर की संख्या अधिक थी लेकिन आजादी के बाद से काफी हद तक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में बहुत सुधार हुए जो की विभिन्न कानूनों को लागू करके संभव बनाया गया है। महिलाओं, बच्चों, श्रमिकों आदि जैसे के विभिन्न सामाजिक समूहों की रक्षा के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं। हमारे संविधान में निर्धारित महत्वपूर्ण लक्ष्यों के अलावा, विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान है एवं स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार होने के कारण विशिष्ट कानूनों द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान  करता है।

**सरकार की भूमिका:**

- **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**

स्वास्थ्य मानव विकास का एक अभिन्न अंग है और  देश की आबादी के लिए अच्छी स्वास्थ्य देखभाल को सक्षम करने के लिए एक सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की उपलब्धता आवश्यक है। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकारों और विभिन्न हितधारकों के बीच घनिष्ठ साझेदारी की आवश्यकता है। कार्यों के संदर्भ में, भारत के संविधान ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भूमिका की पहचान की है। संघ सूची में, केंद्र

सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ उससे जुड़े अस्पतालों सहित पोर्ट क्वारंटाइन और पेशेवर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए समुद्री अस्पतालों और यूनियन एजेंसियों जैसे विषयों को सौंपा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रभाव वाली वस्तुएं जैसे परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम और दवाओं के निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।

- राज्य और क्षेत्र अपने सामाजिक-आर्थिक विकास के मामले में व्यापक रूप से भिन्न हैं और विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के मापदंडों के संदर्भ में विकास की सीढ़ी के विभिन्न चरणों में से एक हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने गरीबों और वंचितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किए थे, किफायती स्वास्थ्य तक पहुंच सुनिश्चित करके क्षेत्रों और समुदायों में स्वास्थ्य में असमानताओं को कम करने पर जोर दिया गया।

**<u>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उद्देश्य इस प्रकार हैं</u>**:

1. समाज के सभी वर्गों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना।
2. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार।
3. जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने की दृष्टि से जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी सुनिश्चित करना।
4. स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन का विकास करना।
5. समाज के समग्र रोग भार को कम करना।

मंत्रालय के विभिन्न विभागों के निकट समन्वय द्वारा मिशन को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, जो नीचे सूचीबद्ध है।

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
2. आयुष विभाग
3. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
4. एड्स नियंत्रण विभाग

**संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार**

अन्य अधिकारों के साथ स्वास्थ्य के अधिकार में स्वतंत्रता और इसे प्राप्त करने का हक दोनों शामिल हैं। स्वतंत्रता में किसी को भी अपने स्वास्थ्य और शरीर (उदाहरण के लिये-यौन और प्रजनन अधिकारों) को नियंत्रित करना और हस्तक्षेप से मुक्त होना (उदाहरण के लिये यातना और गैर-सहमति चिकित्सा उपचार और प्रयोग से मुक्त) शामिल है, तथा इसे प्राप्त करने के हक के अंतर्गत सभी को स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर का आनंद लेने का समान अवसर प्रदान करना शामिल है।

भारत का संविधान स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। हालांकि, संविधान में सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में राज्य की भूमिका के कई संदर्भ हैं।

- **मौलिक अधिकार: स्वास्थ्य की सुरक्षा में समानता**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***एलआईसी ऑफ इंडिया बनाम उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र***[1] के मामले में कहा कि जब भी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो समानता के सिद्धांत को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए।

- संविधान के **अनुच्छेद 21** में कहा गया है कि "किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से (सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार) वंचित नहीं किया जाएगा।" इस अनुच्छेद की व्यापक व्याख्या की गई है ताकि स्वास्थ्य के अधिकार को भी विभिन्न मौलिक अधिकारों के साथ शामिल किया जा सके।
- संविधान के तहत स्वास्थ्य या स्वास्थ्य के अधिकार की कोई स्पष्ट मान्यता नहीं दिए जाने पर, ***बंधु मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और अन्य*** में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार की व्याख्या की, जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है।

[1] 1995 SCC (5) 482

- ***पंजाब राज्य और अन्य बनाम मोहिंदर सिंह चावला*** में शीर्ष न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार के लिए मौलिक है और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है।
- ***पंजाब राज्य और अन्य बनाम राम लुभया बग्गा*** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए राज्य की जिम्मेदारी का समर्थन किया।
- **अनुच्छेद 21** के दायरे के विस्तार के परिणामस्वरूप, जेल में बंद बच्चों के संबंध में जनहित याचिकाएं विशेष सुरक्षा के हकदार हैं, प्रदूषण और हानिकारक दवाओं के कारण स्वास्थ्य के लिए खतरा, भिखारियों के लिए आवास, घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सहायता, भूख से मौत, जानने का अधिकार सहित अन्य बहुत स्वास्थ्य से जुड़े अधिकार प्राप्त है।

**भारतीय संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व** स्वास्थ्य के अधिकार के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

- **अनुच्छेद 39 (ड.)** राज्य को श्रमिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने का निर्देश देता है,
- **अनुच्छेद 42** राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के लिए निर्देशित करता है,
- **अनुच्छेद 47** राज्य पर लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए एक कर्तव्य रखता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए।

इसके अलावा, संविधान न केवल राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए बाध्य करता है, बल्कि यह पंचायतों और नगर पालिकाओं को **अनुच्छेद 243 छ (11वीं अनुसूची के साथ पढ़ें, प्रविष्टि 23)** के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए भी समर्थन करता है।

सितंबर 2019 में, 15वें वित्त आयोग के तहत गठित स्वास्थ्य क्षेत्र पर एक उच्च स्तरीय समूह ने सिफारिश की थी कि स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। इसने स्वास्थ्य के विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश भी रखी थी। वर्तमान में, "सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पतालों और औषधालयों" का विषय भारत के संविधान की **7वीं अनुसूची की राज्य सूची** के अंतर्गत आता है

- जिसका अर्थ है कि राज्य सरकारें सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों को अपनाने, अधिनियमित करने और लागू करने के लिए संवैधानिक निर्देश देती हैं। बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने में भारतीय माननीय उच्चतम न्यायालय की भूमिका उल्लेखनीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार-बार कहा है कि अनुच्छेद 21 में अभिव्यक्ति "जीवन" का अर्थ मानवीय गरिमा के साथ जीवन है, न कि केवल अस्तित्व या पशु के अस्तित्व के समान है। (***Francis Coralie vs The Administrator, Union Territory Of Delhi[1])***।" जीवन के अधिकार" का दायरा बहुत व्यापक है जिसमें आजीविका का अधिकार, बेहतर जीवन स्तर, कार्यस्थल में स्वच्छ स्थिति और अवकाश का अधिकार शामिल है। इसलिए स्वास्थ्य का अधिकार सम्मानजनक जीवन का एक अंतर्निहित और अपरिहार्य हिस्सा है। इस संबंध में राज्य के दायित्वों की प्रकृति को सही मायने में समझने के लिए, अनुच्छेद 21 को ऊपर उल्लिखित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

**भारतीय दण्ड संहिता, 1860**

इस संहिता के अध्याय XIV में धारा 268 से 294A विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराधों से संबंधित है एवं इस अध्याय का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है; पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले या सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंड संहिता के दायरे में माना गया है।

**सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में:**

- **संक्रमण का फैलाव:**

धारा 269-270 इसके बारे में विस्तार से बताता है, समाज के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी किसी भी आपराधिक, गैरकानूनी या लापरवाह ही भरे कृत्य से समाज के अस्तित्व को खतरे में न डाले। वर्तमान में COVID-19, कोरोनावायरस, इस धारा के तहत एक उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है की कोई भी व्यक्ति इस तरह का संक्रमण या अन्य किसी प्रकार का संक्रमण फैलते हुए समाज में लोगों को खतरे में डालने काम

[1] *AIR 1981 746*

करता है तो इस धारा के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसलिए, बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य की देखभाल करना राज्य का कर्तव्य.

- **भोजन, पेय और दवाओं में मिलावट**

धारा 271 के तहत बिक्री के लिए खाने-पीने की चीजों में मिलावट से संबंधित है और अगला खंड हानिकारक पेय की बिक्री से संबंधित है। खाने के लिए अनुपयुक्त भोजन को जानबूझकर बेचना या उसे अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर मानव उपभोग के लिए भोजन के रूप में आपूर्ति करना अपराध है।

- **दूषित पानी**

धारा 277 से संबंधित है जब किसी सार्वजनिक झरने या जलाशय में पानी को उस उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त बनाने के लिए खराब कर दिया गया है जिसके लिए इसका सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, यह इस धारा के तहत दंडनीय है।

- **वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना**

धारा 278 एक विशिष्ट प्रकार के सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित है एवं किसी स्थान के वातावरण को इस प्रकार दूषित करने के लिए इस धरा के तहत दंड का प्रावधान है, यह ये भी सुनिश्चित करता है की हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है की वह पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाना का हर संभव प्रयास करे।

- **सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में**

धारा 279: तेज गति से या लापरवाही से वाहन चलाने से संबंधित है जो जीवन को खतरे में डालता है।यह इस धारा के तहत दंडनीय है।

- **जहर, ज्वलनशील और विस्फोटकों का लापरवाही से संचालन**

धारा 284 से 289 में जहर जैसे पदार्थों को संभालने वालों की ओर से पूर्ण देखभाल की आवश्यकता होती है, जो कि जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, अगर सावधानी से संभाला नहीं गया है। ये अनुभाग आग, मशीनरी, विस्फोटक पदार्थ, भवनों की मरम्मत, इमारतों, जानवरों आदि को गिराने के संबंध में लापरवाह आचरण से संबंधित हैं।

- **धारा 304 क** स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक प्रासंगिक है जो की चिकित्सा लापरवाही के तहत मानी गयी है और इसका संभंद किसी भी प्रकार की लापरवाही से किसी की मौत का कारण माना गया है। इस जल्दबाजी और लापरवाही से किसी व्यक्ति की मौत होने का खतरा होता है। यहां सवाल यह आता है कि क्या इस धारा के तहत या नहीं। चूंकि इसमें चिकित्सा लापरवाही के सभी तत्व शामिल हैं, अतः इस धरा के तहत कोई भी पीड़ित चिकित्सकीय लापरवाही के मामले दर्ज करवा सकता है।
- अध्याय X धारा 133 के तहत एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट, कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो कि राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त है,एक पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने की रसीद पर सशर्त आदेश देने का अधिकार रखते है कि एक व्यापार या व्यवसाय या किसी भी माल को रखने पर, जो कि स्वास्थ्य या मानव शरीर के लिए हानिकारक है, उस व्यक्ति को उसे वहां से हटाने का आदेश दे सकता है, या विनियमित करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

**उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986**

- इस अधिनियम के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति (चिकित्सक) अपनी ड्यूटी या जिम्मेदारी का पालन लापरवाही पूर्वक या ठीक ढंग से नहीं करता है और उसके परिणामस्वरूप दूसरे व्यक्ति (मरीज) को क्षति या हानि पहुंचती है तो कानूनी दृष्टि से इसे लापरवाही मानी जाती है।
- कोई भी पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर या अस्पताल के खिलाफ चिकित्सकीय लापरवाही के लिए हर्जाने का दावा कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 69(1) उस समय सीमा को निर्धारित करती है जिसके भीतर चिकित्सा लापरवाही की शिकायत चोट की तारीख से 2 वर्ष के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।

**पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986**

पर्यावरण और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। पर्यावरणीय कारक स्वास्थ्य कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।इस अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उचित वातावरण में रहने का अधिकार है। हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत रूप से और दूसरों के साथ मिलकर, वर्तमान और भावी पीढ़ियों

के लाभ के लिए पर्यावरण की रक्षा करे। पर्यावरण विनियमन बड़े पैमाने पर मानव कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लागू किये गयें हैं जिसके तहत अलग क़ानून बनाए गए है जैसे कि:

- **वायु ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981**
- **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974**

निम्न उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके तहत:

- प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ वातावरण में रहने और बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच का अधिकार होगा।
- राज्य पर्यावरण के संरक्षण, और सुधार को बढ़ावा देंगे।

**खान अधिनियम 1952**

इस अधिनियम के **अध्याय 5** के अंतर्गत स्वास्थ्य और क्षेम के विषय में उपबंध दिए गए हैं :

- **धारा 19** , **धारा 20, धारा 21** के तहत हर खान में, उसमें नियोजित सब व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक रूप से स्थित यथोचित स्थानों पर, ठंडे और स्वास्थ्यप्रद पीने के जल के पर्याप्त प्रदाय का इंतज़ाम किया जाएगा तथा विहित प्रकार के शौचालयों और मूत्रालयों का उपबंध पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग पर्याप्त संख्या में किया जाएगा जो कि हर नियोजित व्यक्तियों के लिए सब समयों पर सुविधाजनक और पहुँच के अंदर होंगे एवं प्राथमिक उपचार बक्सों या कबर्डों का उपबंध किया जाएगा। अगर खान में नियोजित व्यक्तियों में से किसकी को शारीरिक क्षति, या रोग से ग्रस्त हो जाती है तो चिकित्सालयों या औषधालयों तक पहुँचने के लिए आसान इंतज़ाम किए जाएँगे ।

**चिकित्सा कानून**

भारत में हमारे पास चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी संख्या में कानून हैं। कानून समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बनाए गए हैं।अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ उत्पाद घटिया गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते है उनका उत्पादन होने लगा है। परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा स्थिति का संज्ञान लेने और दवाओं और दवाओं के निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कानून लाने के मामले पर विचार किया गया।

वर्तमान में भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण, बिक्री, आयात, निर्यात और क्लिनिकल रीसर्च को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित अधिनियम लागू हैं।

- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
- ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954
- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
- महामारी रोग अधिनियम, 1897
- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017

***पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य***[1] के मामले में, **अनुच्छेद 21** के दायरे को और बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि न्यायालय ने माना था कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त चिकित्सा सहायता प्रदान करना और बड़े पैमाने पर जनता के कल्याण के लिए प्रयास करना सरकार की जिम्मेदारी है।

इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***परमानंद कटारा बनाम भारत संघ***[2] के मामले में यह माना कि सरकारी अस्पताल में या अन्यथा प्रत्येक चिकित्सक का पेशेवर दायित्व है कि वह रोगी के जीवन की रक्षा के लिए उचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाओं का विस्तार करे।

**व्यावसायिक स्वास्थ्य कानून**

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 इस अधिनियम की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से घोषणा करती है की यह क़ानून एक प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति को विनियमित करता है।

[1] (1996) 4 SCC 37
[2] AIR 1989 SC 2039

- ***उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया***[1] के मामले में, सेवा में और सेवानिवृत्ति के बाद, दोनों के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का अधिकार एक कर्मचारी के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा के लिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है।
- इसके अलावा, भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 19 (1) (छ)** के अनुसार, किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने के लिए सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार आम जनता के हित में लगाए गए प्रतिबंधों अनुच्छेद 19(6) के अधीन है।

**कारखाना अधिनियम, 1948**

स्वस्थ स्वास्थ्य बनाए रखना निस्संदेह सभी के लिए एक चिंता का विषय है लेकिन यह उन लोगों के लिए अधिक आवश्यक है जो लगातार स्वास्थ्य खतरों के बीच काम करते है जैसे फैक्ट्री के कर्मचारी, वे लगातार स्वास्थ्य जोखिमों के खतरे में हैं, इसलिए, कारखानों में काम करने वालों के साथ-साथ समाज के लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है।

**कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ESI)**

यह अधिनियम चिकित्सा संकट के समय में श्रमिक वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जैसे:

- बीमारी
- मातृत्व अवकाश
- विकार (मानसिक या शारीरिक)
- विकलांगता
- मृत्यु।

यह एक स्व-वित्तपोषित पहल है, जो उपरोक्त चिकित्सा मुद्दों से उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय समस्या से श्रमिक वर्ग को रोकने के लिए एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में कार्य करती है।

[1] AIR 1995 SC 922

**मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961**

गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, भारतीय कानून अधिकांश प्रतिष्ठानों के लिए महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ देना अनिवार्य बनाता है।

**बागान श्रम अधिनियम, 1951**

अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों को कल्याण एवं चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना और वृक्षारोपण में काम की शर्तों को विनियमित करना है।

**कर्मकार मुआवज़ा अधिनियम, 1923**

कामगारों के मुआवजे का उद्देश्य केवल कामगार को यानी संबंधित कर्मचारी को चोट लगने की स्थिति में तथा उसके आश्रितों को उसकी मृत्यु के मामले में मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करना है।अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कामगारों के लिए इसके परिणामी खतरे के साथ मशीनरी के बढ़ते उपयोग के कारण दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाली कठिनाई से कामगारों को यथासंभव सुरक्षा की आवश्यकता है।

**महिला और स्वास्थ्य कानून**

महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले कानूनों को लागू करके विधायिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित कानून निम्नलिखित हैं:

- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1994
- गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति अधिनियम, 1971

**बालक और स्वास्थ्य**

आज के बच्चे कल की पूंजी हैं और हमारे देश का भविष्य हमारे आज के बच्चो पर निर्भर है। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि अधिकांश बच्चे आर्थिक बाधाओं के कारण अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं और जिस वजह से

उनकी सेहत का ध्यान नहीं रखा जाता है।हम यह भी देखते हैं कि माता-पिता के ज्ञान की कमी के कारण बालकों की ठीक से देखभाल नहीं की जाती है परन्तु इस क्षेत्र के तहत भी विभिन्न  कानून है जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- शिशु दूध विकल्प, दूध पिलाने की बोतलें और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992
- किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000

**खाद्य कानून और स्वास्थ्य उपाय**

मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करने में भोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य और खाद्य कानूनों से संबंधित निम्नलिखित कानून बनाए गए है:

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

**विकलांगता और स्वास्थ्य कानून**

विकलांगता कानून और अधिनियम ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से देश विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करते हैं । समाज के कई वर्ग अभी भी मानसिक विकलांगता के बारे में बात करना वर्जित मानते हैं और शारीरिक अक्षमता को दयनीय माना जाता है। विकलांगता और खराब स्वास्थ्य मानकों के सामाजिक कलंक को अलग रखते हुए, भारतीय विकलांगता और स्वास्थ्य कानून उन लोगों के अधिकारों और उचित उपचार को शामिल करने के लिए विकसित हुए हैं जिनके स्वास्थ्य से समझौता हुआ है।

विकलांगता एवं स्वास्थ्य क़ानून कुछ इस प्रकार से है:

- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017
- विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
- नेशनल ट्रस्ट (ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए) अधिनियम, 1999

- भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

भारतीय संसद ने कई मुद्दों को संबोधित किया है और स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के संबंध में कानून बनाए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में नए और आने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए विधायिका पर्याप्त रूप से निरंतर कार्य कर रही है। स्वतंत्रता के बाद से स्वास्थ्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और आज स्वास्थ्य के प्रति लोग बहुत जागरूक हो रहे है जिसको मध्येनजर रखते हुए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और कानून विकसित करने की सरकार के हर तरीके से प्रयास निरंतर जारी है । मानव अधिकारों के दायित्वों के अनुरूप, प्रगतिशील कानूनों के कार्यान्वयन हमारी कानून व्यवस्था से लेकर सरकार भी सजग होने लगी है। हम यह कह सकते है कि स्वास्थ्य कानून स्वास्थ्य के अधिकार के प्रचार और संरक्षण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक उदाहरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से, स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल करने के लिए जीवन के अधिकार की अपनी व्याख्या को तार्किक रूप से हमें समय पर आगे बढ़ाया है।

■ **TEAM MAJESTY LEGAL**[1]

**CHAMBER** : 204, E-Block, Rajasthan High Court, Jaipur.

**OFFICE** : C-89, 201, Jagraj Marg, Mangalam Apartment, Bapu Nagar, Jaipur

**MOB** : 8890077779

**E-MAIL** : majestylegal9@gmail.com

**WEBSITE** : www.majestylegal.in

[1] Majesty legal is law firm, established in 2013 and aim of the present article is to provide legal awareness among public. The opinions presented in the article are personal in nature and not to be deemed as legal advice.